



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329

फोन नं. 01425-254022(का.), 01425-254022 (फैक्स)

क्रमांक : एफ.ए./10/सीएस/श्रीकन/2017/ 778


दिनांक : 21/6/2017

निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस महाविद्यालय में दिनांक 16.06.2017 को सुबह 10.00 बजे प्रयोगशाला में काम आये हुए अनुपयोगी उपकरण जैसे ओवन, कूलर, फ्रीज, स्टेपलाईजर, एवरी काँटे, ताले, बागवानी के उपकरण, टाईप मशीनें, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन, प्लारिस्टिक का सामान, मोटर पार्ट्स, टॉर्च, दरी, टायर, टेलीविजन, फर्नीचर एवं अन्य सामान जिस हालत में है, निलामी की जावेगी। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर देखें।


निलामी की शर्तें :-

1. बोली दाताओं को निलामी में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। पंजीकरण शुल्क 500/- रु. होगा, और पंजीकरण शुल्क वापस नहीं, लौटाई जायेगा। पंजीकरण का समय प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे तक होगा, इसके बाद पंजीकरण नहीं होगा।
2. बोली लगाने से पूर्व 12,000/- रु. की डीडी/बैंकर्स चैक बतौर बोली प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति राशि के बोली में भाग नहीं ले सकेगा। और प्रतिभूति राशि की डीडी/बैंकर्स चैक 'अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर' के नाम देय होगा। यदि बोली स्वीकार नहीं होती है तो बोली के बाद बोली प्रतिभूति राशि की डीडी/बैंकर्स चैक 3 दिन में वापिस कर दी जावेगी।
3. निलामी की बोली पंजीकरण के तुरन्त बाद से चालू होगी, जो अंतिम बोली तक जारी रहेगी।
4. जिस पार्टी/फर्म/बोलीदाता के नाम बोली छूटती है उन्हें बोली की 50 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करानी होगी। बाकी की रकम डीडी/बैंकर्स चैक से तीन दिन में जमा करवाना होगा।
5. माल जो जिस हालत में है, जैसा है, जहा है, वैसा ही दिया जावेगा।
6. यदि निलामी की राशि माल की कीमत के बराबर नहीं है और कमेटी मंजूर नहीं करती है तो बोली लगाने वाला किसी तरह बाध्य नहीं कर सकेगा।
7. सभी देय टैक्स पार्टी को ही जमा करवाना होगा और रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पार्टी को माल उठाने दिया जावेगा।
8. कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. निलामी की अन्य शर्तें मौके पर सुनवा दी जायेगी।
10. निलामी के बाद सामान की पूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की होगी एवं पार्टी को सम्पूर्ण सामान अन्दरमयाद तीन दिन में स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा।
11. प्रत्येक पार्टी/फर्म की पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति जमा करानी होगी, अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकते।
12. बोली का न्यूनतम अन्तर 1000 रु. होगा।


(आर.सी. कुमावत)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. श्रीमान वित्त-नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर लेख है कि स्वयं/अपने नामित सदस्य को दिनांक 16.06.2017 को कृषि अभियांत्रिकी विभाग में उपस्थित होने का श्रम करावें।
2. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. कमेटी कनवीनर/सदस्य.....
5. कौशियर, लेखा शाखा को भेजकर लेख है कि पार्टियों की प्रतिभूति राशि डीडी जमा करने के लिए दिनांक 16.06.2017 को उपस्थित रहें।
6. समस्त सूचना पत्र - कार्यालय/नगरपालिका मण्डल/नया व पुराना बाजार/ज्वालापोल/ डाकघर/कॉलेज परिसर/रावल नरेन्द्र सिंह मार्ग, जोबनेर।


प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार